बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 01 अक्टूबर, 2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियों की समीक्षा

आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल तथा राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी श्री कुंदन कृष्णन ने भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई तैयारियों की समीक्षा करना था।

बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श हुआ। इसमें निर्वाचन सूची के प्रकाशन से लेकर मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट० की व्यवस्था तथा मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई।

विधि–व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करते हुए वरीय उपनिर्वाचन आयुक्त नें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, आर्म्स रिकवरी, अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी, शराब की जब्ती और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी तैयारी करने के निर्देश दिये। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी ने कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु की गई तैयारियों की जानकारी साझा की और आश्वस्त किया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबंधों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

मतदान केंद्रों पर सुविधाएँ और विशेष व्यवस्थाएँ भी बैठक का अहम हिस्सा रहीं। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर और संकेतक जैसी न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध हों। साथ ही, विशेष रूप से PwD मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था के व्यापक प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया।

चुनाव को सहभागी और समावेशी बनाने के लिये SVEEP गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गये। राजनीतिक दलों की सक्रिय और पारदर्शी भागीदारी सुनिश्चित करने, मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन को मज़बूत करने तथा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठक के समापन पर वरीय उप निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लिया जाना है ताकि सभी सहभागी पक्षों की सहभागिता पूर्ण सक्रियता के साथ सुनिश्चित हो सके।

प्रर्वतन एजेंसियों के साथ बैठक

इस अवसर पर आगामी विधान सभा आम चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के द्वारा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित कुल 24 केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों की भूमिका और उनके द्वारा चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नवत रहे।

1. मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद राशि, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएँ अथवा अन्य उपहार बाँटने पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच गहन समन्वय आवश्यक है।

2. अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी

सभी प्रवर्तन एजेन्सियों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया Illegal Cash, Illicit Liquor, Drugs, Narcotics, Freebies आदि के अवैध परिचालन एवं वितरण पर अभी से कड़ी नजर रखी जाये तथा गहन समन्वय बनायी जाये।

3. सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी

पुलिस, मद्य निषेध एवं अन्य विभागों को निर्देश दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा पर संवेदनशील बिंदुओं पर नाका/चेक पोस्ट स्थापित किए जाएँ। इन चेक पोस्टों पर नकद, शराब, मादक पदार्थ, नकली/विदेशी मुद्रा आदि के संभावित आवागमन की सघन जाँच होगी तथा इस पर सीसीटीवी के द्वारा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।

4. सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय

अंतर्राज्यीय सीमाओं से नकद, शराब एवं मादक पदार्थों की आवाजाही रोकने हेतु बिहार पुलिस एवं उत्पाद विभाग को पड़ोसी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

5. बैंकों की भूमिका

बैंक नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चुनाव से पूर्व एवं चुनाव अवधि में संदेहास्पद लेन–देन पर तुरंत जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचना दी जाये। इसमें राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा असामान्य/बड़ी राशि की निकासी अथवा बार–बार छोटे–छोटे लेन–देन शामिल हैं।

6. डाक विभाग की निगरानी

डाक विभाग को पार्सल की स्कैनिंग एवं जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि Contraband Items की आवाजाही को रोका जा सके। इस कार्य में NCB, Police एवं Excise विभाग का सहयोग लिया जाएगा।

7. आयकर विभाग की जिम्मेदारी

आयकर विभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य के सभी हवाई अड्डों पर Air Intelligence Unit (AIU) को सक्रिय किया जाये। राज्य मुख्यालय और जिलों में Control Room एवं Quick Response Team (QRT) स्थापित की जाएगी।

8. एयरपोर्ट एवं सुरक्षा एजेंसियाँ

CISF को निर्देश दिया गया कि एयरपोर्ट पर नकदी एवं प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ाई जाये और BCAS द्वारा निर्धारित SOP का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. जीएसटी एवं अन्य एजेंसियाँ

GST के नोडल पदाधिकारियों को Freebies (जैसे साड़ी, धोती, टी–शर्ट) की मांग में अचानक वृद्धि की मॉनिटरिंग करने और Invoice की जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

इसी प्रकार DRI, SSB और RPF को सड़क, रेल, एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्रों से होने वाली अवैध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया।

****